नरसीराम बनाम् महादेव वगै0
दावाः तकास्मा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 9/2003 बी0टी0 नम्बर 321/2017

05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–अजीतगढ़ के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में उपस्थित पटवारी हल्का अजीतगढ़ से प्रकरण में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकार्ड के रिपोर्ट ली गई। वरवक्त न्याय आपके द्वार कैम्प में ही पटवारी हल्का अजीतगढ़ ने अवगत कराया कि ग्राम अजीतगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 78, 79, 81, 82 कुल किता 4 कुल रकबा 7.21 हैक्टर की खातेदारी पूर्व में वादी के 1/3 हिस्से की व प्रतिवादी न. 1 के 2/3 हिस्से की दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। जो पूर्व में विभिन्न स्तरों पर बैचान होकर वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 767, 724, 408, 407 में दर्ज विवरणानुसार खसरा नम्बर 78/1, 79/2 की खातेदारी नरेन्द्रकुमार पुत्र मोहनलाल, प्रमोद कुमार पुत्र मुरलीधर व राजकुमार पुत्र नरेन्द्रकुमार के नाम 1/3–1/3 व 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 78/2 व 82/3 की खातेदारी मोहन पुत्र महादेव व रामकुंवार पुत्र महादेव के 1/2 – 1/2 दर्ज रिकार्ड है एंव खसरा नम्बर 81 की खातेदारी नानूराम पुत्र बींजाराम हिस्सा 1/3 व पवन कुमार पुत्र चौथमल के हिस्सा 2/3 एंव खसरा नम्बर 79/3 व 82/2 की खातेदारी पवनकुमार पुत्र चौथमल हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रकरण में वादी नरसीराम पुत्र सेडूराम जाति अहीर निवासी ढ़ाणी नाड़ी का बाड तन् अजीतगढ के द्वारा दावा बाबत तकास्मा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। किन्तु वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान् की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होकर उक्तानुसार दीगर व्यक्तियों के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में वादपत्र में अंकित

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

हुक्म ... हस्ताक्षर जज

नरसीराम बनाम् महादेव वगै0
दावाः तकास्मा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 9/2003 बी0टी0 नम्बर 321/2017

खसरा नम्बरान् 78, 79, 81, 82 कुल किता 4 कुल रकबा 7.21 हैक्टर की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं होकर दीगर व्यक्तियों के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– अजीतगढ़ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–अजीतगढ़

Scanned by CamScanner